# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**निगरानी संख्या–2186 / 2015 / नागौर**

राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक नागौर। ... प्रार्थी

बनाम

1. श्री मोहनलाल पुत्र स्व. श्री हुक्माराम जी,
निवासी पुराने बिजली घर के पास, भार्गव मौहल्ला,
शनिचर जी के मंदिर के पीछे, नागौर।
2. श्री अमरलाल पुत्र स्व. श्री हुक्माराम जी,
निवासी पुराने बिजली घर के पास, भार्गव मौहल्ला,
शनिचर जी के मंदिर के पीछे, नागौर। ...अप्रार्थीगण

**एकलपीठ**

**श्री नत्थूराम, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री आर.के.अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से

श्री रोहित सोनी
अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से

**निर्णय दिनांक : 16.07.2017**

## निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) अजमेर (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 19.08.2015 प्रकरण संख्या 586 / 2012 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक नागौर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को खारिज किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण द्वारा एक पारिवारिक बटवारा नामा आवासीय सम्पत्ति का दिनांक 07.10.2011 को पंजीयन वास्ते उप पंजीयक, नागौर के समक्ष प्रस्तुत किया जिससे उप पंजीयक द्वारा दस्तावेज की मालियत 2,92,608 / –रू मानते हुए दस्तावेज बटवारा नामा पंजीयन कर अप्रार्थीगण को लौटा दिया गया। तत्पश्चात् महालेखाकार निरीक्षक दल द्वारा उक्त बटवारा नामा पर मुद्रांक अधिनियम की धारा 42 के अनुसार एक बडे भू–भाग को छोडकर शेष भाग पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक शुल्क नहीं लेने से 93,534 / – रू. की कर अपवंचना से आक्षेपित किया गया। तत्पश्चात् उप पंजीयक द्वारा मुद्रांक वसूली वास्ते अप्रार्थीगण को मुंद्राक अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत राशि जमा कराने वास्ते नोटिस

लगातार.........2

जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर उपपंजीयक द्वारा प्रकरण वसूली हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 मोहनलाल ने कलक्टर मुद्रांक के यहा जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय द्वारा यह अवधारित किया है कि प्रकरण में अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 के अनुसार अधिकतम 10,000/– मुद्रांक कर व सम्पत्ति की मालियत 2,92,608/– रू. पर 1 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क 10,000/– वसूल किये गये है जो विधिसम्मत है तथा इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स खारिज किया है जिसके विरूद्व राज्य पक्ष की ओर से यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक उपस्थित आये।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 2 (xx) में विभाजन–पत्र (Partition Deed) को परिभाषित किया गया है। अधिनियम की अनुसूची के आर्टीकल–42 के अनुसार विभाजन पत्र पर सम्पत्ति के एक सबसे बडे हिस्से को छोडकर शेष अलग हुये हिस्से/हिस्सों पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य है। प्रश्नगत दस्तावेज के द्वारा विभाजन–पत्र के माध्यम से अचल सम्पत्ति विभिन्न बटवाराकर्ताओं के मध्य विभाजन किया गया है जिसमें सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा स्वामित्व एवं अधिकारी हस्तान्तरित हुआ है। अतः उक्त आर्टीकल–42 की अनुपालना करते हुये कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य है जिसके आधार पर प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर रेफरेन्स स्वीकार किया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से अप्रर्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि दिनांक 07.10.2011 को हम दोनों भाईयों के मध्य में जिस सम्पत्ति का बंटवारा रजिस्टर्ड कराया गया है वह सम्पत्ति हमारी पेरेन्टल प्रोपर्टी है अर्थात हमारे स्व. पिताजी श्री हुक्माराम जी द्वारा खरीदशुदा है। उनकी मृत्यु दिनांक 13.05.1985 को हो चुकी है जिसका प्रमाण–पत्र संलग्न है। उक्त सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति है जिसके संबंध पट्टे की प्रति संलग्न है जिसमें पट्टा हमारे पिताजी श्री हुक्माराम के नाम अंकित है। अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति के विभाजन पर अधिकतम

am

लगातार.........3

10,000/– रू का मुद्रांक कर देय है। रेफरेन्स विधिसम्मत नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

6. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, प्रार्थना पत्र में अंकित कारण कि प्रशासनिक प्रकिया में समय लगा है संतोषजनक होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. अधीनस्थ न्यायालय में रेफरेन्स का मुख्य आधार यह था कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के आर्टिकल–42 के अनुसार विभाजन पत्र के दस्तावेज में संपति के एक बड़े हिस्से को छोड़ते हुये शेष हिस्से की मालियत पर कन्वेंस की दर से मुद्रांक कर देय होना चाहिए। अप्रार्थी ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 संख्या एफ4(14)एफडी/डिवी/98–52 के अनुसार पैतृक संपति के बंटवारा नामा पर एक बडे हिस्से को छोडकर शेष हिस्सों की मालियत पर 1 प्रतिशत अधिकतम रू. 10,000/– मुद्रांक कर लिये जाने की रियायत होने की बात कही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में रेफरेन्स इस आधार पर खारिज किया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 संख्या एफ4(14)एफडी/डिवी/98–52 के अनुसार पैतृक संपति के बंटवारानामा पर एक बडे हिस्से को छोडकर शेष हिस्सों की मालियत पर 1 प्रतिशत अधिकतम रू. 10,000/– मुद्रांक कर लिये जाने का प्रावधान है।

प्रकरण में इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचना जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 जो कि वर्तमान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू था, के अन्तर्गत जारी अधिसूचना वर्तमान अधिनियम के असंगत है या नही तथा इसका लाभ इस दस्तावेज पंजीयन दिनांक 07.10.2011 पर देय है या नही। इस संबंध में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 91 (2) का अवलोकन किया जाता है जो निम्न प्रकार है :–

91. Repeal and Savings —

(2) Any appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued under the enactment hereby repealed shall be deemed to have been made or issued under the provisions of this Act, in so far as such appointment, notification, notice, order, rule or form is not inconsistent with the provisions of this Act and shall continue in force,

लगातार.........4

unless and until it is superseded by an appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued under this Act. इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि पुराने अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई कोई अधिसूचना नये अधिनियम में तब तक लागू होगी जब तक़ कि यह अधिसूचना अतिष्ठित (Superseded) न कर दी जावें। अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 को प्रत्याहारित करने के संबंध में राज्य पक्ष की ओर से कोई परिपत्र या अधिसूचना या विधिक प्रावधान प्रस्तुत नही किया है। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 9 (1) निम्न प्रकार है :–

9 - Power to reduce, remit or compound duties

(1) The Government, if satisfied that it is necessary to do so in the public interest, may by rule or order published in Official Gazette, reduce or remit, whether prospectively or retrospectively, in the whole or any part of the territories under its administration, the duties with which any instruments or any particular class of instruments, or any of the instruments belonging to such class, or any instruments when executed by or in favour of any particular class of persons, or by or in favour of any member of such class are chargeable. इस प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार को जनहित में शुल्क को कम करने की शक्तियाँ प्रदत्त है। अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत जारी की गई है जिसमें भी राज्य सरकार को शुल्क कम करने की शक्तियाँ थी। इस प्रकार जिन शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत शुल्क में रियायत की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 जारी की गई है, वही शक्तियाँ राज्य सरकार को राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त है तथा यह अधिसूचना नये अधिनियम के अन्तर्गत असंगत नही मानी जा सकती।

इस संबंध में मुद्रांक विभाग द्वारा ली गई विधिक स्थिति हेतु महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर का परिपत्र संख्या 24/2015 क्रमांक : एफ 7(39)जन/मार्गदर्शिका/2015/पार्ट/4671 दिनांक 17.06.2015 अवलोकनीय है जो निम्नुसार है :– राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत दी गई मुद्रांक शुल्क की रियायतें वर्तमान में प्रभावी होने के संबंध में :– "राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प.2(50)वित/कर/10 दिनांक 01.12.2010 द्वारा विधि विभाग की राय के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि राज. स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 91(2) के अनुसार राजस्थान स्टाम्प लॉ (अडपटेशन) एक्ट, 1952 (भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899) के प्रावधानों के अधीन जारी अधिसूचनायें नये अधिनियम में भी जारी की गई

लगातार.........5

समझी जावेगी, जब तक की वे वर्तमान अधिनियम, 1998 के प्रावधानों से असंगत न हों। पूर्व अधिनियम में स्टाम्प शुल्क को कम करने की शक्तियां राज्य सरकार को थी तथा नये अधिनियम की धारा 7 में भी ये शक्तियां राज्य सरकार को प्राप्त है। राज्य सरकार के उपरोक्त मार्गदर्शन से यह स्पष्ट है कि पूर्व अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क मे रियायत के संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाएँ वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रभावी हैं।''

विभाग स्वयं द्वारा ली गयी उपरोक्त विधिक धारणा से भी स्पष्ट है कि मुद्रांक शुल्क मे रियायत के संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाएँ वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रभावी है। इस प्रकार इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 जो कि वर्तमान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू था, के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का लाभ इस दस्तावेज पंजीयन दिनांक 07.10.2011 पर देय है।

9. प्रकरण में इस बिन्दु पर भी विचार किया जाता है कि जिस संपत्ति का विभाजन पत्र निष्पादित किया गया था वह संपत्ति पैतृक है या नहीं। पैतृक संपत्ति के संबंध में The Advanced Law Lexicon (Law Dictionary compiled and edited by P. Ramanatha Aiyar Published by Wadhwa & Company Nagpur, India 3rd Edition Reprint 2007) में निम्न प्रकार उल्लेख किया गया है :– Ancestral Property : If property came to a son as gift from his father, it can not be regarded his ancestral property. **Ancestral properties in the ordinary sense mean property of the father which is inherited. Ancestral property does not necessarily mean property which has been a long time in a family, it rather means, property derived from the proprietor's father.** इस डिक्शनरी में पैतृक संपत्ति के संबंध में की गई व्याख्या से यह स्पष्ट है कि यदि कोई संपत्ति पिता या उच्चतर श्रेणी के पूर्वजों से कोई संपत्ति प्राप्त होती है तो वह पैतृक संपत्ति की श्रेणी में है।

बंटवारनामा दस्तावेज पंजीयन दिनांक 07.10.2011 मे बंटवारनामा अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित हुआ है। दस्तावेज में श्री हुक्माराम का स्वर्गवास दिनांक 13.04.1985 को होना अंकित है तथा दस्तावेज में यह उल्लेख है कि दस्तावेज से संबंधित संपत्ति श्री हुक्माराम द्वारा नगरपालिका नागौर से क्रयशुदा है। दस्तावेज में सम्पत्ति पट्टा न0 15/1938 मिसल नम्बर 134/1937–38 दिनांक 18.08.1939 श्री हुक्माराम वल्द जुमर जी के नाम, पट्टा नम्बर 107/14.12.1942 मिसल नम्बर 134–39–40 दिनांक 14.12. 1942 श्री हुक्माराम वल्द जुमर जी के नाम एवं पट्टा मिसल नम्बर 2/1966–67 दिनांक 31.10.1966 श्री मोहनलाल पुत्र हुक्माराम के नाम जारी होना अंकित किया गया है। निगरानी में अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत जवाब के संलग्न

पट्टो की फोटो प्रतियां भी प्रस्तुत की गई है। तीन सम्पत्तिया अप्रार्थीगण के पिता हुक्माराम के नाम आवंटित है तथा एक सम्पत्ति पट्टा नम्बर 2 श्री मोहनलाल अप्रार्थी सं. एक के नाम आवंटित है। यह सम्पत्ति दिनांक 31.10.1966 को आवंटित की गई है तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत पेन्शन पेमेन्ट ऑर्डर की फोटो प्रति के अनुसार श्री मोहन लाल की जन्म तिथि 30.12.1950 है तथा आवंटन के समय अप्रार्थी सं. 1 नाबालिग होने के कारण जरिये पिता ही आवंटित मानी जायेगी। इस प्रकार निगरानी का यह आधार स्वीकार योग्य नही है कि बंटवारनामा से संबंधित संपत्ति पैतृक नही है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रश्नगत दस्तावेज पर अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 लागू होने के कारण निगरानी सारहीन है एवं खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है।

11. निर्णय सुनाया गया।

( नत्थूराम )
सदस्य